

प्रेषक,

(गरिमा सिंह-1)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
कक्ष संख्या-02, शाहजहाँपुर।

ID No.UP6224

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

पत्रांक-

1024/I

दिनांक: 03.9.2024

विषय:-

National Pension System/New Pension Scheme से Old Pension Scheme में शामिल होने हेतु पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 9691/IV-F-82(Pension)/Admin. (A) Dated: July 16, 2024 के माध्यम से National Pension System/New Pension Scheme को Old Pension Scheme में परिवर्तित किए जाने हेतु E-Services JO पोर्टल पर आनलाइन व भौतिक रूप से आवेदन आहूत किए गए हैं।

महोदय, सादर अवगत करना है कि प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 01.08.2024 को E-Services JO पोर्टल पर आनलाइन व भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रार्थिनी के विकल्प पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति नहीं थी। माननीय महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 11718/IV-F-82 (Pension)/Admin.(A) Dated:31.08.2024 के माध्यम से जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा विकल्प पत्र बिना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के प्रेषित कर दिए गए हैं, उन आवेदनकर्ताओं से पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित आहूत किए गए हैं।

महोदय, प्रार्थिनी द्वारा पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ E-Services JO पोर्टल पर भी प्रेषित किया जा चुका है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न National Pension System/New Pension Scheme से Old Pension Scheme में शामिल होने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

आदर सहित।

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
शाहजहाँपुर

030924 दिनांक- 03.09.2024

संलग्नक: आवेदन पत्र व विकल्प पत्र।

भवदीया,

(गरिमा सिंह-1)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट),

कक्ष संख्या-02, शाहजहाँपुर।

From,

Garima Singh-I
Additional District and Sessions Judge
Court No. 02, Shahjahanpur.
ID No.UP6224

To,

The Registrar General
High Court of Judicature at Allahabad.
Allahabad.

Through

The District Judge,
Shahjahanpur.

Subject:- **"Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in compliance of letter No. 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) dated July 16, 2024 issued by Hon'ble Court in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P."**

Sir,

Regarding the captioned subject, it is most humbly submitted that the Hon'ble Court through its letter no. 9691/IV-F-82 (Pension)/ Admin. (A) dated July 16, 2024 has been pleased to invite applications in online mode on E-Services JO Portal as well as in offline mode from all the judicial officials of State of U.P. who fulfil the criteria as laid down in aforesaid G.O. dated 28.06.2024, as per proforma of Option Form.

The applicant was appointed as Judicial Magistrate, Saharanpur in U.P. Nyayik Sewa on 26.05.2006 on the basis of vacancy advertisement No.-A-2/E-1/2003 dated 15.11.2003 (Date Published in Employment News Paper-22.11.2003) and the applicant joined the aforesaid service on 15.06.2006. The said vacancy was advertised prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X-2005-301(9)- 2003 dated 28.03.2005. Therefore, the applicant is entitled to get benefits of **Old Pension Scheme**.

Therefore, it is humbly requested that the applicant is, herewith, submitting his Option Form opting to switch over from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme and the same may kindly be accepted. The Option Form is also being submitted in online mode on E-Services JO Portal separately.

With regards.

Yours Faithfully,

(Garima Singh-I)

Additional District and Sessions Judge
Court No. 02, Shahjahanpur.
ID No. UP6224

Date:- 03.09.2024

Enclosure:- Duly filled Option Form

अप्रसादित
जनपद न्यायाधीश
शाहजहाँपुर
03092024

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 वित्त सामान्य/अनुभाग-3 दिनांक 11.07.2024

विकल्प पत्र

1. नाम- गरिमा सिंह-1,
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला जज, शाहजहाँपुर,
3. वेतनमान- 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- उ०प्र०शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम-लोक सेवा आयोग उ०प्र०)
6. विज्ञप्ति की तिथि- विज्ञापन सं० ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15.11.2003 (रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि 22.11.2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006(संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि- 15.06.2006
9. जन्म तिथि- 16.06.1978
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.06.2038

मैं गरिमा सिंह-1 पुत्री श्री हरि राज सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

नाम- गरिमा सिंह-1
पदनाम- अपर जिला जज, शाहजहाँपुर।
I.D. No. - UP6224


घोषणा पत्र

मैं गरिमा सिंह, अपर जिला जज, शाहजहाँपुर यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

नाम- गरिमा सिंह-1
पदनाम- अपर जिला जज, शाहजहाँपुर।
I.D. No. - UP6224

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री गरिमा सिंह, पदनाम अपर जिला जज, शाहजहाँपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
DISTRICT JUDGE
SHAHJAHANPUR